राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
निदेशालय एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक एफ.20 (504) एनएचएम/ HWC /भर्ती/2020/ 803 दिनांक 10/05/21

आदेश

1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सीएचओ के 7810 पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञप्ति दिनांक 31.08.2020 जारी कर आवेदित अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 10.11.2020 को स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाकर दस्तावेज सत्यापन उपरान्त विज्ञप्ति क्रमांक 1004–05 दिनांक 08.05.2021 के द्वारा चयन सूची जारी की गई है।
2) उपरोक्त चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सेवायें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र क्रमाक प.1(1)चिस्वा/ ग्रुप–2/2020 दिनांक 27.04.2021 में वर्णित शर्तो के अधीन जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार वर्तमान कोविड परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक कोरोना वायरस COVID-19 के नियन्त्रण कार्यो हेतु संलग्न सूची के अनुसार अस्थाई रूप से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपी जाती है। उक्त अभ्यर्थियों को इस अवधि में एनएचएम के जीएनएम पद हेतु पीआईपी में स्वीकृत समेकित मानेदय 7900 रू. प्रतिमाह देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वित्तिय परिलाभ देय नही होगें। संबंधित सीएमएचओ इस मानदेय का भुगतान DBT के माध्यम से भारत सरकार से कोविड–19 के स्पेशल बजट (B 31.4) में प्राप्त राशि से किया जायेगा। इन अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही है।
3) चयनित अभ्यर्थी इस आदेश के जारी होने के तीन दिवस में संलग्न सूची अनुसार संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें। निर्धारित अवधि में उपस्थित नही होने वाले अभ्यर्थी संविदा सीएचओ के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगे तथा संबंधित संभाग के संयुक्त निदेशक उपस्थित नही होने वाले अभ्यर्थीयों की सूचना तुरन्त एनएचएम मुख्यालय में प्रेषित करेगें। अनुपस्थित अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
4) सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित संभाग द्वारा उक्त अभ्यर्थियों को एक दिवस का ओरियन्टेशन प्रशिक्षण करवाया जायेगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थियों को संलग्न सूची के अनुसार संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
5) चयनित अभ्यर्थी ओरियन्टेशन प्रशिक्षण के अगले कार्य दिवस में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यग्रहण करेगें तथा कार्यग्रहण के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र (संलग्न प्रारूप अनुसार), वैध फोटो आई डी की स्वयं हस्ताक्षरित प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यग्रहण नही करने पर चयनित अभ्यर्थी को संविदा सीएचओ नियुक्ति हेतु पात्र नही माना जायेगा।
6) उपरोक्त अभ्यर्थियों के लिए संविदा सीएचओ भर्ती–2020 की विज्ञप्ति में वर्णित शर्तो के अधीन निर्धारित Bridge Programme Certificate (Course) in Community Health for Nurses कोर्स हेतु प्रशिक्षण परिस्थितियां सामान्य होने पर आयोजित किया जायेगा, जिसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के आधार पर जिला आवंटित किया जाकर संविदा सीएचओ के पद पर नियुक्ति आदि की कार्यवाही का निर्णय परिस्थितियों के सामान्य होने के बाद लिया जावेगा।
7) चयन सूची में शामिल वे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व से ही IGNOU/University के माध्यम से सफलतापूर्वक Bridge Programme Certificate (Course) in Community Health for Nurses उत्तीर्ण कर रखा है, वे अपनी उपस्थिति राज्य नोडल अधिकारी, HWC एनएचएम मुख्यालय, जयपुर को आदेश जारी होने के तीन दिवस में मूल दस्तावेजों सहित प्रस्तुत करे।

D:\Letter Hindi_12020-21.docx

8) इन अभ्यर्थीयों का कार्यग्रहण उनके द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जांच के अध्यध्यीन रहेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज मिथ्या/गलत पाये जाते है तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी ।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

→ संलग्नक सूचि

(सुधीर कुमार शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांक एफ.20 (504) एनएचएम/HWC/2020/803
दिनांकः 10/05/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, चिकि. स्वा0 विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य)/निदेशक, (आरसीएच), एनएचएम, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
8. निदेशक वित्त, एनएचएम, जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संबंधित जोन।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. एस.एन.ओ. HWC Cellए एनएचएम, जयपुर।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, राजस्थान।
13. प्रभारी -सर्वर रूम को ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. अनुभाग अधिकारी एच.आर
15. रक्षित पत्रावली।

राज्य नोडल अधिकारी,
एचडब्लयूसी, एनएचएम

D:\Letter Hindi_12020-21.docx